

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

2014 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16306

में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.1802

=====

सरफराज अहमद, पुत्र- मोहम्मद अली, निवासी- राम नगर बाजार, थाना- राम नगर,
जिला- पश्चिम चंपारण, बेतिया, वर्तमान में निवासी- गाँव- मालदहिया, थाना- सीकरपुर,
जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. पटना में बिहार सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम चंपारण।
3. वन संरक्षक-सह-क्षेत्रीय निदेशक, वाल्मीकि बाघ परियोजना, पश्चिम चंपारण, बेतिया।
4. अनुज्ञप्ति प्राधिकरण-सह-विभागीय वन अधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि बाघ परियोजना, प्रभाग-1, पश्चिम चंपारण, बेतिया।
5. मेसर्स मॉडर्न सॉ मिल, अपने मालिक अब्दुल सत्तार, पुत्र- स्वर्गीय अब्दुल रउफ, निवासी- गाँव-मालदहिया, नारकटियागंज, थाना- सीकरपुर, जिला- पश्चिम चंपारण के माध्यम से एक स्वामित्व फर्म है।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री मुकेश कांत, अधिवक्ता

श्री संचय श्रीवास्तव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता: श्री सर्वेश कुमार सिंह, ए.ए. जी-13

श्री शकिब अयाज, ए.ए.जी- 13 के ए.सी

=====

बिहार आरा मिल (विनियमन) अधिनियम, 1990—धारा 24—बिहार आरा मिल (विनियमन) नियम, 1993—आरा पिटों की स्थापना तथा डिपो की स्थापना एवं विनियमन के लिए बिहार नियम, 1983—लाइसेंस—प्रदान किया जाना—नियम, 1983 के अंतर्गत वर्ष 1986 में प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में मेसर्स मॉडर्न आरा मिल के नाम से लाइसेंस जारी किया गया—प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निष्पादित हलफनामे द्वारा आरा मिल को अपीलकर्ता के पक्ष में सौंप दिया गया—अधिनियम, 1990 के अंतर्गत पिछले लाइसेंस धारकों को नियम, 1993 द्वारा विनियमित एक नया लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी—नियम, 1983 के अंतर्गत कोई भी अनुमति या लाइसेंस अधिनियम, 1990 के लागू होने के बाद निरर्थक हो गया—प्रतिवादी संख्या 5 को एक नया लाइसेंस प्रदान किया गया क्योंकि उसने अधिनियम, 1990 के लागू होने के बाद इसके लिए आवेदन नहीं किया था नवीनीकरण के लिए अपेक्षित जमा राशि और साथ ही पूर्ववर्ती लाइसेंस धारक के विरुद्ध पिछला बकाया, अपीलकर्ता ने उसे जमा कर दिया—अपीलकर्ता को लाइसेंस प्रदान करना एक नया लाइसेंस था और यह प्रतिवादी सं. 5 के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं था—अपीलकर्ता आरा मिल चलाता था, लगभग 15 वर्षों के बाद प्रतिवादी सं. 5 को एक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया कि आरा मिल को किसी पावर ऑफ अटॉर्नी आदि के आधार पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था—प्राधिकरण ने

माना कि प्रतिवादी सं. 5 ने सभी अधिकार खो दिए हैं क्योंकि उसका लाइसेंस नियम, 1983 के अंतर्गत था और वह अधिनियम, 1990 के अंतर्गत आवेदन करने में विफल रहा-प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा दायर अपील में प्राधिकार के आदेश को बरकरार रखा गया-विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ता ने गलत तथ्यों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त किया और अपने आचरण के कारण वह किसी भी लाइसेंस के अनुदान के लिए अपात्र था इस तथ्य की सराहना नहीं करता है कि 1998 के बाद से और 1990 के अधिनियम के लागू होने के बाद, यह अपीलकर्ता था जो 15 साल तक आरा मिल चला रहा था और जिसने पूरा बकाया जमा कर दिया था और जब उसने आवेदन किया, तो उसे 1998 में एक नया लाइसेंस दिया गया था - उक्त लाइसेंस को कभी भी किसी अधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी; और यह रिट याचिका में आदेश पारित होने तक अस्तित्व में रहा - इसलिए, प्रतिवादी संख्या 5 का मिल चलाने के लाइसेंस के संबंध में बिल्कुल भी दावा नहीं था - इसलिए, स्वामित्व और लाइसेंस देने के प्रश्न को इस तरह से नहीं मिलाया जा सकता था कि अपीलकर्ता को अनुकूल न लगे - विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता की अयोग्यता की घोषणा को खारिज किया जाता है - अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। (पैरा 3, 5, 12, 13, 15 से 18)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायाधीश श्रीमती अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख:13-03-2019

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री मुकेश कांत और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता- 13 श्री सर्वेश कुमार सिंह को सुना गया।

2. हमने कल मामले को स्थगित किया ताकि अदालत को सूचना हो सके कि क्या प्रतिवादी सं. 5 अब्दुल सत्तार ने अछेपित निर्णय के विरुद्ध एल पी ए दयार किया है अथवा नहीं। यह आवश्यक था क्योंकि रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन साथ ही अपीलार्थी के दावे को भी खारिज कर दिया गया था। विद्वान वकील सूचित करते हैं कि अब्दुल सत्तार द्वारा कोई एल. पी. ए. दायर नहीं किया गया है और यह केवल अपीलार्थी है जो अछेपित फैसले से व्यथित है। इस पृष्ठभूमि में, हम अब्दुल सत्तार को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं पाते हैं क्योंकि 28 नवंबर, 2018 को उनकी रिट याचिका खारिज होने के बाद से उन्हें इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है।

3. मॉडर्न सॉ मिल के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में विवाद है। निर्विवाद तथ्य यह है कि सॉ पिट की स्थापना एवं डिपो की स्थापना एवं विनियमन, 1983 के लिए, एक अनुज्ञप्ति मेसर्स मॉडर्न सॉ मिल के नाम पर 9 मई, 1986 को जारी किया

गया। नियम 4 (3) के संदर्भ में इस अनुज्ञप्ति की एक प्रति प्रतिवादी 3 एवं 4 में याचिका में एक जवाबी हलफनामे हेतु अनुलग्नक - ए है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं. 5 ने 19 मार्च, 1998 को एक शपथ पत्र निष्पादित किया, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में दायर की गई है। उक्त शपथपत्र की सामग्री नीचे दी गई है:-

शपथ पत्र

मैं, अब्दुल सत्तार, पुत्र- अब्दुल रॉफ, उम्र- लगभग 50 वर्ष, धर्म से मुस्लिम, पेशा से व्यवसाय, निवासी- गाँव- मालददिया, नरकटियागंज, डाकघर एवं थाना- नरकटियागंज, जिला- पश्चिम चम्पारण, यहाँ दृढ़तापूर्वक कहते हैं एवं इस प्रकार घोषणा करते हैं :-

1. कि मैं हरदिया चौक, नरकटियागंज में स्थित मेसर्स मॉडर्न सॉ मिल का मालिक और एकमात्र मालिक हूँ।

2. कि, इस व्यवसाय के अलावा मेरा अन्य व्यवसाय भी है और खेती करता था।

3. कि, इन कारणों से, से मुझे इस व्यवसाय को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है एवं अतः मैंने इसे अपने दामाद को इसे सौंपने का निर्णय लिया है, जिन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

4. कि मेरे दामाद सरफराज अहमद, पुत्र- मोहम्मद अली, निवासी- रामनगर, जो व्यवसाय को संभालने के लिए उत्सुक और ऊर्जावान हैं और इसलिए उनके पक्ष में "सोपुर्दगी नामा" पहले ही उनके पक्ष में कार्यान्वित किया जा चुका है एवं अब उन्हें सॉ मिल्स के पुरे मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

5. कि, मेरे दामाद द्वारा किया गया कोई भी कार्य, जिसे साँ मिल के मालिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किया गया माना जाएगा।

6. कि, इसके बाद मैं किसी प्रकार से कोई हित में रूचि लेना बंद कर दिया हूँ।

7. कि मेरे नाम के स्थान पर मौजूदा लाइसेंस में मेरे दामाद सरफराज अहमद का नाम समायोजित किया जाए और मेरा नाम हटा दिया जाए।

8. कि मैं अपनी पूर्ण भावना और स्वस्थ दिमाग से ऐसा करता हूँ। साँ मिल के वर्तमान मालिक के रूप में अपने दामाद पर भरोसा करता हूँ।

9. कि, उपरोक्त कंडिकाओं की सामग्री मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार है।

हस्ताक्षरित/-

अब्दुल सत्तार

अभिसाक्षी

मैं, अब्दुल सत्तार, प्रतिनिधि एतद्द्वारा आगे घोषणा करता हूँ कि इस हलफनामे की सामग्री मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 19.3.98 पर बेतिया में सत्यापित।

हस्ताक्षरित/-

अब्दुल सत्तार

अभिसाक्षी

5. रिट याचिका के पैराग्राफ-7 में, प्रतिवादी सं. 5, याचिकाकर्ता ने हलफनामे के निष्पादन को स्वीकार किया है, लेकिन यह आरोपित किया गया है कि उन्होंने उसके सारांश को पढ़े बिना ही हस्ताक्षर किया है।

6. उक्त हलफनामे के मद्देनजर, यह निर्विवाद प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने आरा मिल को अपने अधीन ले लिया और उसे चलाना शुरू कर दिया, जो तथ्य विवादित प्रतीत नहीं होता है।

7. बिहार सॉ मिल्स (विनियमन) अधिनियम, 1990 के प्रभाव में आने के साथ सभी ऐसे अनुज्ञप्ति धारक को उसके शर्तों के साथ नयी अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता थी। ऐसे अनुज्ञप्ति के अधिनिर्णय की प्रक्रिया का नियंत्रण बिहार सॉ मिल्स (विनियमन) नियम, 1993 द्वारा हुआ। सर्वसम्मति से प्रतिवादी सं. 5 - याचिकाकर्ता अब्दुल सत्तार को आवेदन, नए अधिनियम के तहत ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु ऐसी आवेदन अनुपस्थिति था एवं उपरोक्त अनावश्यक बनाए, एवं, इसलिए इस पृष्ठभूमि में ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलार्थी 21 मार्च, 1998 को एक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु एक आवेदन की कार्यवाई शुरू की।

8. 1990 अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के आधार पर, लाइसेंस प्रदान करने के लिए ऐसे किसी आवेदन के अभाव में, 1983 के पूर्वोक्त नियमों के तहत कोई भी अनुमति या लाइसेंस निरर्थक हो गया और, इसलिए, इस पृष्ठभूमि में यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने 21 मार्च, 1998 को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

9. हालांकि, उक्त अनुज्ञप्ति संसाधित करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि संचिका टिप्पणियां, जिसको एक प्रति रिट - याचिकाकर्ता द्वारा पूरक हलफनामे में अनुलग्नक - 11 द्वारा दायर किया है, अपीलार्थी का दावा भी शपथ पत्र के साथ प्रतिवादी सं.- 5 याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, 26 मार्च, 1998 को प्रतिवादी सं. - 5

याचिकाकर्ता को एक नया लाइसेंस दिया गया था। इस नए लाइसेंस की एक प्रति 1998 के लाइसेंस सं. 18 होने के कारण रिट याचिका के लिए अनुलग्नक-4 है। इसलिए, इस तरह के लाइसेंस का अनुदान निर्विवाद है, लेकिन साथ ही, अपीलार्थी को नवीनीकरण के साथ-साथ पूर्व लाइसेंस धारक के खिलाफ पिछले बकाया की आवश्यक जमा राशि जमा करने के लिए भी कहा गया था। तदनुसार, अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर के तहत इसे जमा किया जो रिट याचिका के अनुलग्नक-3 से स्पष्ट है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उक्त आवेदन पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं न कि प्रत्यर्थी सं. - 5 याचिकाकर्ता द्वारा। ऐसा अतीत की निरंतरता को ठीक करने के लिए किया गया होगा।

10. अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भले ही आवेदन को ऊपर निकाले गए हलफनामे को ध्यान में रखते हुए संसाधित किया गया था, फिर भी अपीलार्थी को लाइसेंस देना एक नया लाइसेंस था और यह प्रत्यर्थी सं. - 5 याचिकाकर्ता के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं था, जिसका लाइसेंस 1990 के नए अधिनियम की घोषणा के प्रख्यापन के कारन हुआ था।

11. साँ मिल अपीलार्थी द्वारा चलाया जाता रहा, और लगभग 15 वर्षों के बाद 13 नवंबर, 2013 को प्रतिवादी सं. - 5 याचिकाकर्ता अब्दुल सत्तार को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें अब्दुल सत्तार को इस विषय की व्याख्या करने हेतु कि साँ मिल का हस्तांतरण पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हुआ था, एवं इसलिए, उन्हें अपना जवाब देना चाहिए। यह नोटिस अपीलार्थी को नहीं बल्कि प्रत्यर्थी सं. - 5 याचिकाकर्ता को जारी किया गया था।

12. हालाँकि, अपीलार्थी अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के समक्ष अपने वकील के माध्यम से पेश नहीं हुआ एवं 6 मार्च, 2014 को एक आदेश पारित हुआ, श्रेणीबद्ध तरीके से अभिनिर्धारित करते हुए कि अब्दुल सत्तार को निरंतरता का दावा करने का कोई अधिकार

नहीं था या अन्यथा कि यह अपीलार्थी द्वारा, जिसे एक नयी अनुज्ञप्ति 26 मार्च, 1998 को प्रदत्त किया गया था, एवं जो किसी दुर्बलता से ग्रसित नहीं था। यह भी अवलोकन किया गया कि यह 15 वर्षों के उपरांत था कि अब्दुल सत्तार द्वारा विवाद उठाया गया था, जिसे रद्द करना न्यायतः होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अब्दुल सत्तार अपने सभी अधिकार खो दिए थे क्योंकि उनकी अनुज्ञप्ति 1983 नियम के तहत था एवं वह 1990 अधिनियम के तहत आवेदित करने में विफल रहा।

13. अब्दुल सत्तार, प्रतिवादी सं. - 5 याचिकाकर्ता, ने एक याचिका उसके विरुद्ध दायर की एवं उस अपील को लाइसेंस प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, इस अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका अब्दुल सत्तार द्वारा दायर की गई थी और रिट याचिका को खारिज करने की कार्यवाही करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक साथ यह निर्णय दिया है कि अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से गलत तथ्यों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त किया था और इसके परिणामस्वरूप, वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अयोग्य था एवं अब्दुल सत्तार एवं अपीलार्थी के रिश्ते में संदर्भित आचरण के कारण।

14. हम उल्लेख कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो हलफनामा निकाला गया है एवं जो अब्दुल सत्तार का अपना हलफनामा है, वह बताता है कि अपीलार्थी उसका दामाद है, लेकिन तथ्य यह है कि वह इसके भाई का दामाद है। अपीलार्थी द्वारा कोई गलत व्याख्या नहीं की गई थी। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को अपात्र ठहराते हुए अपनी साँ मिल चलाने से वंचित कर दिया।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री मुकेश कांत प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के वजन के खिलाफ है क्योंकि प्रतिवादी सं. - 5 याचिकाकर्ता द्वारा केवल इस बात से इनकार किया गया है कि

उसने शपथ पत्र की सामग्री को पढ़े बिना उसे निष्पादित किया था, यह स्थापित नहीं किया गया था। शपथपत्र के निष्पादन से इनकार नहीं किया गया था। उक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी की ओर से कोई गलत निरूपण नहीं किया गया था ताकि यह समझा जा सके कि यह अपीलार्थी का आचरण के कारण स्थिति पैदा हुई थी।

16. दूसरा, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने इस तथ्य की सराहना की है कि 1998 से और 1990 के अधिनियम की घोषणा के बाद, यह अपीलकर्ता था जो 15 वर्षों से सॉ मिल चला रहा था और जिसने पूरा बकाया जमा किया था। और जब उन्होंने आवेदन किया, तो उन्हें 26 मार्च, 1998 को एक नया लाइसेंस दिया गया। 26 मार्च, 1998 के इस लाइसेंस को कभी भी किसी प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और यह रिट याचिका में आक्षेपित आदेशों के पारित होने तक अस्तित्व में रहा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं. - 5 याचिकाकर्ता का सॉ मिल चलाने के लाइसेंस के संबंध में कोई दावा नहीं था और इसलिए, स्वामित्व और लाइसेंस देने के सवाल को मिलाया नहीं जा सकता था ताकि अपीलकर्ता पर मुकदमा न चलाया जा सके।

17. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा, अपीलार्थी के खिलाफ अभिलेख के सामग्री के आधार पर निष्कर्षों का कोई कानूनी कारण नहीं पते हैं क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा करने वाले राज्य-उत्तरदाताओं का भी मामला है कि लाइसेंस अपीलार्थी को वैध रूप से दिया गया था और यह 1998 से अस्तित्व में था और 1990 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं. - 5 याचिकाकर्ता के पास कोई दावा नहीं बचा था, इसलिए अपीलार्थी को अयोग्य घोषित करने का कोई अवसर नहीं था।

18. नतीजतन, अपील जहां तक अपीलार्थी से संबंधित है, अनुमति पाने का हकदार है। दिनांक 28.11.2018 के अछेपित फैसले के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी की अयोग्यता की घोषणा को दरकिनार किया गया जाता है।

19. यह भी रिकॉर्ड में है कि एक परिणामी आदेश एकल न्यायाधीश के फैसले को देखते हुए 7 फरवरी, 2019 के बाद पारित किया गया था और अपीलार्थी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। हम तदनुसार 7 फरवरी, 2019 के परिणामी आदेश को दरकिनार करते हैं और लाइसेंस प्राधिकरण इसका पालन करेगा। तथापि, हमारे निर्णय का अर्थ मैसर्स मॉडर्न सॉ मिल्स की परिसंपत्तियों के स्वामित्व या स्वामित्व के बारे में अपीलार्थी के पक्ष में किसी भी अधिकार की घोषणा करना या किसी भी विरासत को उचित ठहराना नहीं होना चाहिए। यह निर्णय केवल लाइसेंस की वैधता और उससे संबंधित विवाद तक ही सीमित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5-याचिकाकर्ता सहित पक्षकारों के किसी भी अन्य अधिकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

20. अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायाधीश)

सुनील/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।